रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 1976/फाल्गुन 19, 1897
No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 1976/PHALGUNA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th March 1976

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rubber products commonly known as rubber based adhesives for tyres and tubes, non-curing, falling under sub-item (2) of Item No. 16A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 47/76]

M. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 मार्च, 197

सा० का० नि० 115 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले, असंसाधक, (नान क्योरिंग) रबड़-उत्पादों को, जो सामान्यतः टायरों और ट्यूबों के लिए रबड़ वाले आसंजक (रबड़ बेस्ड एडेसिव) के रूप में ज्ञात हैं, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 47/76]

एन० ओबराय, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976